

प्रयालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 37 /2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(ii)/51

निर्णय

दिनांक: 07.11.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवारी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.06.2024 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवारी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/2024/1211 दिनांक 08.07.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2025 को समय 07.30 एएम बजे मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विकेता श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान में रखे एक कैन में रखे खाद्य पदार्थ गाय का दूध, जो लगभग 20 लीटर के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में रखे लगभग 20 लीटर खाद्य पदार्थ गाय का दूध को आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिसमें मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते गाय का दूध का नमूना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 20 लीटर गाय का दूध में से 2 लीटर विकेता से खरीद किया। विकेता को मौके पर ही उक्त कथशुदा गाय का दूध का नगद भुगतान 100/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलन न्यायनिर्णयन आवेदन है।



3
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का दूध 02 लीटर को वरावर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मलिन की 40 वूदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2760 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2760 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-: L.S./453/Act/2025/453 Dated 01.05.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-2760 Sub- Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विक्रेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गाय का दूध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-1 तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-2 के तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 21.04.2025 को अप्रार्थी के संस्थान से दूध का सैम्पल लिया जाना स्वीकार है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सैम्पल नियमानुसार नहीं लिया गया जिस कारण से अप्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है।



3
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

4. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-4 के तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि अप्रार्थी के संस्थान से 2 लीटर दूध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कय किया जाना एवं उसका 100/- रुपये नगद भुगतान किया जाना स्वीकार है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे एवं जिन जिन कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे उन पर कोई भी कार्यवाही पूर्व में नहीं की गई थी।

5. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-5 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी के संस्थान से केवल मात्र दूध का सैम्पल लिया गया था। उसके सामने किसी प्रकार का ना तो कोई फार्म भरा गया व ना ही अप्रार्थी के सामने किसी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि अप्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार व एक दो गवाहान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी राकेश कुमार व गवाहान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दबाव में आकर किये गये थे। मौका पर जो भी कार्यवाही की गई वह अप्रार्थी को ना तो पढ़कर सुनाई गई है व ना ही समझायी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका पर क्या कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी/अभियुक्त को अवगत नहीं करवाया गया।

6. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-6 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो दूध का नमूना लिया गया उसकी कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई अर्थात् नमूना लेते समय/भरते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सही नहीं थी। जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो ऐसी स्थिति में सैम्पल का अमानक आना स्वभावी है।

7. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-7 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है।

8. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-8 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। इस चरण का उत्तर विस्तृत रूप से उपर के चरणों में दिया जा चुका है।

9. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 9 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त के संस्थान से जो दूध का नमूना प्राप्त किया गया अगर वह सब स्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया तो उसकी सूचना परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी/अभियुक्त को नहीं दी गई जिस कारण अप्रार्थी/अभियुक्त के अधिकारों का हनन हुआ है। यदि विभाग/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सैम्पल का एक भाग अप्रार्थी को दिया होता या उक्त सैम्पल अमानक होने की जानकारी अप्रार्थी को दी होती तो अप्रार्थी अवश्य ही इसकी जांच अपने स्तर पर सक्षम प्रयोगशाला से करवा लेता। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट एवं अग्रेषित पत्र की कोई प्रति अप्रार्थी को नहीं दी गई।

10. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-10 के तथ्य कानूनी है, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

11. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या-11 के तथ्य कानूनी है, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

12. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 12 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है व ना ही अप्रार्थी द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (11) का उल्लंघन किया है। जब अप्रार्थी



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशांत)
श्रीगंगानगर

द्वारा किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी जुर्माना राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है।

अतिरिक्त कथन

1. यह कि अधिनियम व नियमावली के प्रावधान स्वयं में पूर्ण संहिता है एवं उनकी पालना आज्ञापक प्रावधान है। यदि पालना में कोई त्रुटि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस स्थिति में विश्लेषक की रिपोर्ट अमान्य हो जाती है।

2. यह कि अपने उपरोक्त कथनों को प्रभावित किये बिना ही प्रार्थी का निवेदन है कि मिल्कफेड में निर्धारित मानकता के विपरीत जो मानकता विश्लेषक के द्वारा दर्शायी जाती है वह अति सूक्ष्म दृष्टि की है जबकि अन्य मानक समस्त निर्धारित सीमा के अन्दर अथवा अधिक हैं।

3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम व नियमावली की कोई पालना नहीं की गई क्योंकि सैम्पल लेने से पूर्व जिस पॉट/पात्र से दूध का सैम्पल लिया गया, सैम्पल से पूर्व उसको री-प्रजेन्टेटिव रूप नहीं दिया गया और ना ही री-प्रजेन्टेटिव करके सैम्पल लिये जाने का कोई उल्लेख परिवाद पत्र में दिया। ऐसी स्थिति में यदि उसी पात्र से सैम्पल लिया गया हो तो उसकी मानकता प्रभावित हो जाती है। यहां इस बात से भी स्पष्टता जाहिर होती है कि मिल्क सोलिड नोट फेड की निर्धारित न्यूनतम मानकता के विपरीत विश्लेषक के द्वारा काफी ज्यादा मात्रा दर्शायी गई है जिससे पुष्टि होती है कि गांय के दूध में कोई मिलावट नहीं थी।

4 यह कि उपरोक्त प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो अप्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की गई व ना ही इसकी सूचना अप्रार्थी/अभियुक्त को दी गई। इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन परिवाद में अंकित नहीं किये गये हैं। यदि अप्रार्थी/अभियुक्त को नमूना सब स्टेण्डर्ड होने की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाती तो अप्रार्थी/अभियुक्त उक्त सैम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला से आवश्यक रूप से विश्लेषण करवाता, इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन होने के कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2012 (4) सीजे (क्रिमिनल) राज० 1916 चिरंजीलाल वनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में अभियुक्त को नमूने का पुनः परीक्षण करवाये जाने के अधिकार के सम्बन्ध में उक्त निर्णय पारित किया है।

अतः जवाब पेश करके निवेदन है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल K-2760 जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./453/Act/2025/453 Dated 01.05.2025 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो अप्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की गई व ना ही इसकी सूचना अप्रार्थी/अभियुक्त को दी गई। इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन परिवाद में अंकित नहीं किये गये हैं। यदि अप्रार्थी/अभियुक्त को नमूना सब स्टेण्डर्ड होने की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाती तो अप्रार्थी/अभियुक्त उक्त सैम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला से आवश्यक रूप से विश्लेषण करवाता, इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन होने के कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा निवेदन है कि प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।



2
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Milk" bearing Code No and No. K-2760, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform the standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011 की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भागचंद (विकेता व मालिक), मै. गोविन्द डेयरी, नाथावाला चौक, हनुमानगढ़ रोड, चक 02 एमएल, श्रीगंगानगर, निवासी 1 एमएल, चक कालूवाला, श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 10,000-00 (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीदासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर०ए०एस०
अपील प्रकरण सं० 30/2022

1. संजय पुत्र हेताराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
अपीलार्थी

बनाम

2. स्टेट ऑफ़ राजस्थान ज़रिये नायब तहसीलदार राजस्व, मिर्जेवाला।

रेस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार मिर्जेवाला बअनुवानी सरकार बनाम संजय , पत्रावली संख्या 03/2022 आदेश दिनांक 19.09.2022 व 30.09.2022 जिसकी रूह से अपीलार्थी पर तावान कायम कर बेदखली का आदेश दिया गया, को मन्सूखी बाबत।

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश ::

दिनांक :- 11.11.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. यह कि अपीलार्थीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 विधि विरुद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।
2. यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 44 की 1.101 हेक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी थी, जिसको सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई थी, जिसके आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया जा चुका है जो वर्तमान में आवंटन अधिकारी के समक्ष लम्बित है।
3. यह कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.09.2022 को रेस्पोंडेंट को प्रेषित कर तावान की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की , जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 को सीधे ही खड़ी फसल को कुर्क कर निलामी करने का आदेश दिया जबकि विधि अनुसार फसल को कुर्क करने से पूर्व फसल को हटाये



2
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

- जाने का निर्देश दिया जाना चाहिये, परन्तु किसी प्रकार की कोई समुचित कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।
4. यह कि अपीलार्थी का आवंटन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, इसलिये अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अतिकर्मी नहीं है, बल्कि साधिकार मौका पर काबिज कास्त है, जिसे अतिकर्मी की हैसियत से वेदखल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा।
 5. यह कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से कोई सूचना पत्र अथवा नोटिस की तागील विधिवत् रूप से नहीं की गई बल्कि एक पक्षीय कार्यवाही कर द्वेषता पूर्वक कार्यवाही कर, वेदखली करने पर उत्तारु है।
 6. यह कि अपील श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किया जावे, तो जनबा की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

अपील पर उप-तहसीलदार मिर्जेवाला से रिपोर्ट तलब की गई। उप तहसीलदार मिर्जेवाला ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 43 दिनांक 18.02.2025 में अंकित किया कि चक 8 एफ बड़ा के मुख्या नम्बर 44, किला नम्बर 19 ता 22 में 1.012, 23/1 में 0.089 कुल 1.101 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में रकवा राज (सिवाय चक) दर्ज है। उक्त भूमि पर संजय बनाम स्टेट अपील प्रकरण संख्या 30/2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण उक्त रकवा राज भूमि 1.101 हैक्टर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही फरमावे ताकि फसल रबी-2081 में धारा 22 की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांत ने अपील मीगो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 8 एफ बड़ा के मुख्या नम्बर 44 की 1.101 हैक्टर कृषि भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खातोदारी थी, जिसको सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई है। उक्त विवादित कृषि भूमि से सम्बन्धित आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.09.2022 को तावान की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा दिनांक 19.09.2022 को सीधे ही खड़ी फसल को कुर्क कर निलागी करने का आदेश दिया जबकि विधि

3
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अनुसार फसल को कुर्क करने से पूर्व फसल को हटाये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिये। अपीलार्थी का आवंटन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, इसलिये अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अतिकर्मी नहीं है, बल्कि साधिकार मौका पर काविज काश्त है, जिसे अतिकर्मी की हैसियत से वेदखल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से कोई सूचना पत्र अथवा नोटिस की तामील विधिवत् रूप से नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने वहस निम्न नजीरे पेश की है:-

1. आर.आर.डी. 1994 पेज-559

(b) Section 91-Any crop standing or any building or other construction erected or anything deposited on trespassed land can be forfeited only if it is not removed within a reasonable time allowed for this purpose-penalty extending to fifty times the annual rent or assessment (but not premium lease rent) can be imposed.

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकर्मी की हैसियत से फसल काश्त की गई है जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान की कार्यवाही की गई। तावान राशि जमा करवाकर अपीलार्थी खड़ी फसल उठाने के लिए सक्षम है।

2. आर.आर.डी. 1994 पेज-200

Rajasthan Land Revenue Act, Section 9-Patently erroneous order of Tehsildar regarding attachment of standing crop in proceedings u/s 91 L.R.Act without giving the alleged trespasser a reasonable opportunity of hearing sec. by Board in exercise of their power's u/s 9 (Paras3-4)

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड में जारी नोटिस जो स्वयं अपीलार्थी पर तामील होना पाया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी वहस में कथन किया कि उप तहसीलदार मिर्जेवाला का निर्णय दिनांक 30.09.2022 सही है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुना नहीं गया, सरासर गलत है क्योंकि अपीलार्थी स्वयं को नोटिस की तामील स्वयं पर होने के बावजूद वह उपस्थित नहीं आया है। जब तावान एवं जुर्माना की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मिर्जेवाला की जा चुकी है तो अपील चलाने का अब क्या औचित्य है। वर्तमान में भूमि राजकीय है। उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

2
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर गनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीन आदेश उप तहसील मिर्जेवाला दिनांक 30.09.2022 द्वारा चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 19 ता 22 में 1.012, 23/1 में 0.089 कुल 1.101 हैक्टर नहरी कृषि भूमि रकबा राज राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि पर संजय पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला ने फसल खरीफ सम्वत् 2079 में जिन्स गवार की नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलार्थी की सुनवाई का नोटिस जारी कर रकबा राज नहरी भूमि पर खरीफ सम्वत् 2079 में जिन्स गवार की नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। इस आदेश के जरिये कुर्क शुदा फसल की नीलामी की कार्यवाही को भी प्रस्तुत फर्द नीलामी दिनांक 28.09.2022 को अंतिम कर दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः उप तहसीलदार मिर्जेवाला का आदेश दिनांक 30.09.2022 बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ उप तहसीलदार मिर्जेवाला को भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (पशा०)
अभिशासन, श्रीगंगानगर